न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 33/2022 बउनवानी जसराज बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

GCMS No-2022/65

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
27.4.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 20.1.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः— 1. दिनांक 18.11.2021 को जरिये डाक से आम जनता मिर्जापुर के द्वारा एक प्रार्थना पत्र भेजा उसकी डाक रसीद संख्या ईआर 136453345आईएन, आईवीआर 6982136453345 भेज गये प्रार्थना पत्र की एक प्रमाणित प्रतिलिपि व आपके द्वारा उस प्रार्थना पत्र मे क्या कार्यवाही की गयी उसकी लिखित सूचना चाहिए। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः आरटीआई/अपील/2022/427 दिनांक 11.4..2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.1..2022 के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना के लिए 4/—रू शुल्क जमा करवाने हेतु अधिनियम की तय समय सीमा मे जरिये पत्रांक 221 दिनांक 8.2.2022 को लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा आदिनांक तक शुल्क जमा नही करवाने के कारण वांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.1.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक 221 दिनांक 8.2.2022 से 4/—रू शुल्क जमा करवाने बाबत लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। न्यायालय द्वारा पत्र दिनांक 8.2.2022 की तामील रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त पत्र की प्रति किसी सुरेन्द्र नाम के व्यक्ति को दी गयी थी जिसमे यह भी नही लिखा गया कि सुरेन्द्र का अपीलान्ट से क्या संबंध है। इसके अतिरिक्त तामिल कुलिन्दा श्री श्याम सुन्दर द्वारा दिनांक 11.1.2022 को बाद तामील रिपोर्ट पेश होने की रिपोर्ट पेश की गयी है जबकि पत्र दिनांक 8.2.2022 का है। इस प्रकार [illegible] गये पत्र की प्रति अपीलान्ट को प्राप्त हुई हो प्रस्तुत रिकार्ड से पुष्टि नही हो[illegible]: लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी [illegible] अपीलान्ट को वांछित सूचनाऐं 7 दिवस मे निःशुल्क भिजवायी जावे। साथ ही [illegible] करवाने मे कोताही [illegible] एवं प्रोपर तामील नही करवाने वाले कार्मिक के [illegible]नात्मक कार्यवाही क[illegible]क्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:18:52 IST
Reason: SelfAttested